REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238864 CG-DL-E-15092022-238864

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944 No. 624] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 704(अ).—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020, में नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

10. अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल- (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सरसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और सरसठ वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन अगले चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। (2) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और जिला आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु-सीमा के अध्यधीन अगले चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

[फा.सं. जे-10/7/2018-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा. का. नि. 452 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2022

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by sections 29 and 43, read with clauses (n) and (w) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020, namely: -

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:--

10. Term of office of President or Member.— (1) The President of the State Commission shall hold office for a term of four years or upto the age of sixty-seven years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for another term of four years subject to the age limit of sixty-seven years, and such reappointment shall be made on the basis of the recommendation of the Selection Committee.

(2) Every member of the State Commission and the President and every member of the District Commission shall hold office for a term of four years or upto the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for another term of four years subject to the age limit of sixty-five years, and such reappointment shall be made on the basis of the recommendation of the Selection Committee.

[F. No. J-10/7/2018-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 452(E) dated the 15th July, 2020.